कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

110151- 2544098

🔀 <u>deosecbikaner@gmail.com</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञप्ति क्रमांकः प.14(108)RSSB/अर्थना/मा.शि. /शा.शि./भर्ती/2022/567 दिनांक 16.06.2022 द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा–2022 एवं श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक:–शिविरा–मा. /संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–2022 दिनांक:–02.09.2023 द्वारा जारी गैर अनुसूचित /अनुसूचित क्षेत्र के लिए चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों की सूची एवं दिशा–निर्देशानुसार बीकानेर जिले में आवंटित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु दिनांक 08.09.2023 व 09.09.2023 को कार्यालय स्तर पर परामर्श शिविर आयोजित कर अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प प्राप्त किये गये।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा—माध्य/संस्था /एफ—1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021—22 दिनांक:—06.12.2023 द्वारा उक्त भर्ती में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में अंकित Only Counselling वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतनमान, लेवल—10 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनरी ट्रेनी) के रूप में दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियमानुसार देय नियम मानदेय रू.23700/— प्रतिमाह/विद्यमान वेतन पर निम्नांकित शर्ती / समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अध्याधीन संलग्न सूची अनुसार पदस्थापन किया जाता है :—

- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रैंनी) की अवधि में Fixed Remuneration के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षती पुर्ति भत्ता, महगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेंनी) की अवधि में RGHS, सामान्य प्रावधायी निधि 2004 आदि की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
- ▶ परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश कमांक —एफ 12 (9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :--
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।
- 2. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपार्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।





Digitally signed by Syrendra Singh Bhati Designation District Education Officer Date: 2023.12.07 10:58:43 IST Reason: Approved

- 3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी / ए-2 / 95 दि 08. 04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावें
- अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेज की जांच आवश्यक रूप से कर लेंवें।
- 6. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
- 7. आवेदक से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे ।
- 8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से रू.50 / के नोन ज्यूडिशिअल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता / योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध या मान्य नहीं पाये गये तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
- 9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया हुआ हो, पूर्ण जॉच उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जावे ।
- 10. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलियर की श्रेणी में आता है तो सूचना इस कार्यालय को तत्काल भिजवाएँ।
- 11. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला अवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो, तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो, तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो, तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो, तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त की अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी किमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को मिजवायें।
- 12. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र प. 7 / 1 / DOP/A-II@2019 दिनांक 20.10.2019 क अन्तर्गत जारी किया होना चाहिये।
- 13. कार्यग्रहण से पूर्व मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायेगें एवं अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करेगे।
- 14. चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती <u>परीक्षा—2022</u> के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगे।

Signature valid Digitally signed by Sure idra Singh

Date: 2023.12.87 15:58:43 IST Reason: Approved

Designation District Education Officer

RajKaj Ref 5144707

Bhati

- 15. सम्बन्धी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावें।
- 16. जिन अभ्यर्थियों को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान की गई है शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद उपलब्ध होने पर पद विरूद्ध पदस्थापित नवचयनित शारीरिक शिक्षकों को मूल पद पर पदस्थापन किया जायेगा।
- 17. संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक / क–2 / 06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
- 18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.7(13)कार्मिक / क—2 / 23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।
- 19. इनके कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्था प्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को सूचित करेगें।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 27.12.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों / सूचना सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाऐ समाप्त की जायेगी।

संलग्नः– पदस्थापित अभ्यर्थियों की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक— जिशिअ / मुमाशि / बीका / संस्था—2 / F-203 / पी.ई.टी. / 2023 / 495 दिनांकः— 07.12.2023 प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्:—

- 1. श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- 2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजरूँ थान बीकानेर।
- श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर मण्डल बीकानेर।
- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बीकानेर ।
- 6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा.....को भेजकर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र भेजे जा रहे है जिनका वितरण संबंधित संस्था प्रधान को चयनित अभ्यर्थी के कार्यग्रहण बाबत् वितरण करेंगे।
- 7. संबंधित संस्था प्रधान......को भेजकर लेख है कि कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पत्र चयनित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में लगावें, जिन अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर उनके मूल आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को वाहक स्तर द्वारा भिजवायें।
- 8. सबंधित अभ्यर्थी.....
- 9. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय
- 10. संस्था–3 (वरिष्ठता / डीपीसी) प्रभाग, कार्यालय–हाजा ।
- 11. रक्षित पत्रावली **।**

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

Signature yalid


RajKaj Ref 5144707 Digitally signed by Syreydra Singh Bhati Designation District Education Officer Date: 2023.12.07 10:58:43 IST Reason: Approved <u>कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर</u>

क्रमांक:— जिशिअ / मुमाशि / बीका / संस्था—2 / F-203 / पी.ई टी / 2023 / 495

<u>दिनाकः 07 12 2023</u>

शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में गैर–अनुसूचित क्षेत्र (नॉन–टीएसपी) हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क.स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम कार्मिक	पिता का नाम	पता	जन्म दिनांक	चयन वर्ग	वि.वि.	लिंग	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
-	475	749847	NIRMALA SIYAG	DHANNA RAM SIYAG	WARD NO 09 BHADANI BASS PALANA District BIKANER	11-Jun-1997	GEN		Female	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TALARIYA BAS RASISAR (462448)(08030704501)	PANCHOO
N	4707	746146 MONIKA	MONIKA	LALCHAND	V.P.O. BHADWANWALA 79 R.B. (B) TEH. RAISINGHNAGAR District SRI GANGANAGAR	04-Jul-2001	GEN- EWS		Female	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAPOORISAR (211280)(08030203001)	LUNKARANSAR
ю	3220		732513 DALIP SINGH	GOPAL SINGH	4 B.L.D. POST-4 B L D SHRI VIJAY NAGAR District SRI GANGANAGAR	11-Jan-1984	GEN	SP EX	Male	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHARUKHIRA (476617)(08030101201)	BIKANER
4	349	708629	708629 JOGENDRA SINGH	LILU RAM	VPO.JOGIWALA TEH BHADRA - District HANUMANGARH	25-May-1997	GEN		Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOPLYAN (224924)(08030203801)	LUNKARANSAR
5	198	732554	MANJU KUMARI SAHU	HANSA RAM	VILLAGE SURATSINGHPURA POST KUCHOR ATHUNI BIKANER District BIKANER	01-Jan-1990	GEN		Female	Female MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MUNDSAR (418345)(08030107403)	BIKANER



ब्लॉक	12	NOKHA	PANCHOO	LUNKARANSAR	NOKHA	PANCHOO	LUNKARANSAR	KHAJUWALA
पदस्थापन स्थान	11	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHARKADA (211376)(08030400102)	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL KUDSU (412830)(08030703502)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHEKHSAR (211298)(08030208302)	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BADNU (412047)(08030403802)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ROHI KUVA HANSASAR (419723)(08030702301)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALADESAR (211289)(08030205601)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ALLADIN KA BERA I A.L.M. (411813)(08030601206)
लिंग	10	Female	Female	Male	Male	Male	Male	Male
ति.ति.	6				l			
चयन वर्ग	8	GEN	GEN	GEN	GEN	GEN	GEN	GEN
जन्म दिनांक	7	14-Apr-1996	28-Jun-1998	01-Jan-2000	02-Apr-1997	01-Jul-1993	10-Sep-1997	05-Dec-1998
पता	9	ALAY NAGAUR - District NAGAUR	VPO SADHUNA NOKHA SADHUNA District BIKANER	KAPURISAR TEH LOONKARANSAR - District BIKANER	SUDSAR SUDSAR SHRIDUNGARGARH District BIKANER	WARD N 07 TEHSIL NOKHA DISTRICT BIKANER District BIKANER	WARD NO.1 VILL.BADERAN TH.LOONKARNSAR BIKANER District BIKANER	CHAK 15 MD TEHSIL ANUPGARH POST 13 MD District SRI GANGANAGAR
पिता का नाम	5	MAMRAJ BISHNOI	RAM CHANDRA GODARA	NAND LAL SHARMA	REWANT RAM	RAMESHWAR LAL	KIRTA RAM	BALJEET SINGH
नाम कार्मिक	4	NSILA	MAMTA	SHYAM SUNDER	PRAHALAD RAM	GOPAL GOPAL	BAL RAM BENIWAL	GURTENDER SINGH
रोल नम्बर	3	728583	715891	717924	723735	742644	723283	735321
मेरिट क्रमांक	7	474	993	57	92	451	602	605
क.स.	-	Q	2	8	6	10	11	12



RajKaj Ref 5144707

12	LUNKARANSAR	POOGAL	POOGAL
11	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJASAR KARNISAR (211283)(08030203901)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 2ADM (224957)(08030605502)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL FALAWALI (476011)(08030605401)
10	Male	Male	Male
6			
8	GEN	GEN	GEN
7	07-Jun-1998	24-Nov-1996	13-Sep-1996
9	CHAK 4LKD, NATHWANA WARD NO 04 TH LOONKARNSAR, NATHWANA - District BIKANER	742839 no	WARD NO 11 VPO KHOKHRANA TEH LUNKARANSAR District BIKANER
5	MANIRAM DAS	DARBARI LAL	HARI RAM GODARA
4	KISAN SWAMI	SACHIN KUMAR	OM PRAKASH GODARA
3	712362	742839	709677
2	<i>L</i> 1 <i>T</i>	720	748
1	13	14	15
	3 4 5 6 7 8 9 10 11	234567891011717712362KISAN SWAMIMANIRAM DASCHAK 4LKD, NATHWANA WARD NO07-Jun-1998GENGOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL717712362KISAN SWAMIMANIRAM DAS04 TH LOONKARNSAR, NATHWANA - District07-Jun-1998GENMale8RAJASAR MANAMATHWANA - District07-Jun-1998GENMaleRAJASAR KARNISAR RAJASAR KARNISAR	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 717 712362 $kisan swamiMartHwana waRD NONaTHWANA WARD NO07-Jun-1998GeNSeCONDARY SCHOOL717712362kisan swamiManiRam Das04THLOONKARNSAR,NATHWANA District07-Jun-1998GENMaleSeCONDARY SCHOOL7207283972839728399674283906742839067428390072074283988101010101010720742839881010101010107207428391010101010101010$

नोट :--क्र.स. 6,8,9,13 पर अंकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान की गई है शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद उपलब्ध होने पर पद विरुद्ध पदस्थापित नवचयनित शारीरिक शिक्षकों को मूल पद पर पदस्थापन किंया जायेगा

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर

